

किसानों को बरों का मुजावजा राजस्थान सरकार ने मंजूर किया है, बाकी गांवों का अभी नहीं हुआ है, अगर सभे में वाई जमीनों के बदले कास्ट की भूमि अभी नहीं दी गई है। इन 18 डिपरेशनों का पानी खाली करने को स्कीम बनी हुई है मगर कुछ इंजीनियरों की नासमझी के कारण जहाँ पानी निकालना था उस हेड को 14 फुट लेवल उंचा बना दिया। इसलिए पानी इन डिपरेशनों से निकलने में बाधा पड़ गई है। अब इस हेड को तोड़ कर ही पानी बाहर छोड़ा जा सकता है।

इस स्कीम को कार्यान्वित न करने के कारण करोड़ों रुपये की सम्पत्ति किसानों की नष्ट हो गई है और सरकार को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ गया है। अगर इस पानी को राजस्थान नहर की लो लेवल ड्रान्व में डाल दिया जावे तो राजस्थान नहर में पानी बढ़ सकता है और इन सभे में आये हुए किसानों को करोड़ों रुपये की जमीनों का मुजावजा न देने से सरकार का घाटा पूरा हो सकता है।

बाशा है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को इसे लोक महत्व का प्रश्न समझ कर इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने के लिए आदेश प्रसारित करेगी।

(ii) DRINKING WATER PROBLEM IN VILLAGES IN WESTERN REGION OF RAJASTHAN

श्री श्रीधर चन्द्र जैन (वाइमोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ :

“भारत में 33 वर्ष की स्वतन्त्रता के उपरान्त भी देश की जनता को शुद्ध पेयजल सुलभ नहीं हुआ है। राजस्थान प्रान्त के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल समस्या गम्भीर रूप धारण किये हुए है। वहाँ के अधिकांश भाग में पानी की प्राप्ति के लिए 10-10 मील दूर जाना पड़ता है और वहाँ

भी खारा पानी उपलब्ध होता है। परिवार का एक व्यक्ति इसी कार्य में लगा हुआ रहता है।

लगातार तीन वर्षों से सूखा पड़ने के कारण जल समस्या ने गम्भीर से गम्भीरतम रूप धारण कर लिया है। राज्य के करीब 400 गांवों को इस समय ट्रकों, टैंकरों एवं रेलवे टैंकियों से पानी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों को पहुँचाया जा रहा है परन्तु सप्ताह में एक बार और बड़े गांवों में दो बार पानी पहुँचाया जा रहा है जो बहुत ही अपर्याप्त है और वे प्रति व्यक्ति औसत 1/4 गैलन पानी प्राप्त करते हैं जो उनके पीने के लिए काफी नहीं है। अतः मांग है कि तीन सौ ग्रामों को जनसंख्या के लिए प्रति सप्ताह में तीन दिन और जहाँ ग्राम संख्या अधिक है वहाँ एक और दो टैंकर प्रति दिन भेजे जावें ताकि कम से कम एक गैलन प्रति व्यक्ति पीने का पानी मिल सके। जिन ग्रामों में अकाल के दिनों में हर साल पीने का पानी 10 मील से 50 मील की दूरी से टैंकरों द्वारा भेजा जाता है और अधिक राशि व्यय करनी पड़ती है उन ग्रामों को केन्द्र सरकार प्रथम श्रेणी के समस्याग्रस्त ग्राम मानकर राजस्थान राज्य सरकार को निर्देश दे कि वे इन ग्रामों को पीने का पानी पहुँचाने की स्थायी योजना में प्राथमिकता दें।”

(iii) NEEDED TO SET-UP THE AROMATIC COMPLEX IN KERALA

SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat)\*: An expert committee had recommended Cochin, in Kerala, as a suitable place where an Aromatic complex should be set up. Now, to by-pass the recommendation of the expert committee and setup the factory in some other State would amount to neglect of Kerala and its interests.

The expert committee had recommended that the aromatic factory which will have an investment of Rs. 150 crores should be set up as a

\*The original speech was delivered in Malayalam.